भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3902

जिसका उत्तर 18 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

कोयला कामगारों को उपदान का भुगतान

3902. श्री सुधाकर सिंहः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सेवानिवृत्त कोयला के कामगारों को उपदान के भुगतान में कोई अनियमितताएं हुई हैं, जैसा कि विभिन्न कार्यक्षेत्रों/क्षेत्रों से हाल ही में आई शिकायतों में उजागर हुआ है और यदि हां, तो इन विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) उपदान अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सभी सहायक कंपनियों में 2018 में अधिसूचित 10 लाख रूपए की संशोधित उपदान सीमा के एक समान कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ग) पात्र कामगारों, विशेष रूप से 1 जनवरी, 2017 से प्रभावित लोगों को संशोधित उपदान भुगतान के संवितरण में देरी के क्या कारण हैं और इस मुद्दे के समाधान लिए क्या समय सीमा निर्धारित की जा रही है;

(घ) बढ़ी हुई उपदान-देयताओं और वित्तीय स्थिति को झेलने की कंपनी की क्षमता के मद्दे नजर अतिरिक्त धन के आवंटन के बारे में उठाई गई चिंताओं पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या सभी रैंक के कर्मचारियों के लिए उपदान मानदंडों को लागू करने में समानता सुनिश्चित करने की कोई योजना है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : सेवानिवृत्त कोयला कामगारों को उपदान के भुगतान में कोई अनियमितताएं नहीं हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने उपदान राशि की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपये से

बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने के संबंध में दिनांक 29.03.2018 को राजपत्र अधिसूचना जारी की और इसे कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा लागू किया गया है। तथापि, यूनियनें दिनांक 01.01.2017 से सीआईएल के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को कार्यकारी के समान उपदान की संशोधित अधिकतम सीमा को लागू करने के लिए अभ्यावेदन दे रही हैं।

(ख) : उपदान भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

(ग) : सीआईएल के पात्र कामगारों को संशोधित उपदान के संवितरण में कोई विलंब नहीं हुआ है। उपदान भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारियों को उपदान की बढ़ी हुई राशि दिनांक 29.03.2018 से लागू है जिसका अनुपालन किया गया है।

(घ) : उपर्युक्त के उत्तर (क) से (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ): वर्तमान में उपदान भुगतान (संशोधन) अधिनियम 2018 के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।

*****